अति तत्काल

फैक्स / स्पीड पोस्ट से

संख्या : 14/2/2014-ईओयू

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

ईओयू अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 5 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 24 जुलाई, 2014 को आयोजित की गई अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2014 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को 24 जुलाई, 2014 को आयोजित ईओयू योजना के लिए अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2014 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर भेजें।

(एस एस कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स : 23062496

ई-मेल : kumar.ss@nic.in

संलग्नक : यथोपरि

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त।

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव(एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (आरए) के पीएस / निदेशक (एमवी) के पीएस

निर्यात उन्मुख यूनिटों (ईओयू) के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 24 जुलाई, 2014 को अपराहन 2:15 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2014 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 24 जुलाई, 2014 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2014 सीरीज) हुई। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

2.1(14) : 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित बीओए की पहली बैठक (2014 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

अनुमोदन बोर्ड ने 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित बीओए की पहली बैठक (2014 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2.2(14) : मैसर्स गॉड ग्रेनाइट्स, एमईपीजेड के तहत ईओयू - पूंजी माल के आयात के लिए अनुमति

बोर्ड ने सीबीईसी के इस प्रतिवाद को नोट किया कि चूंकि अधिसूचना संख्या 52/2003 – सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2003 के अनुबंध-5 में डबल ब्लेड कटर के साथ कटिंग मशीन का कोई उल्लेख नहीं है और यह कि सीबीईसी का कस्टम विंग इस मामले की जांच कर रहा है, इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2.3(14) : मैसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड – आईएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मौजूदा डीटीए यूनिट के ईओयू यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन

बोर्ड ने मौजूदा डीटीए यूनिट के ईओयू यूनिट में परिवर्तन के लिए मैसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। बोर्ड ने यह भी कहा कि चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त यूनिट के प्लांट एवं मशीनरी में निवेश तथा उसका निर्यात 50 करोड़ रुपए से कम है, इसलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

2.4(14) : मैसर्स सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत ईओयू - 17 अप्रैल, 2013 से 5 साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

बोर्ड ने मैसर्स सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत ईओयू के संबंध में 16 अप्रैल, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार-विमर्श के बाद अधिसूचना संख्या 52/2003 – कस्टम दिनांक 31 मार्च, 2003 के अनुसरण में एक बार में चार बार के लिए शुल्क के भुगतान पर एक साल की अवधि के लिए एलओपी वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। एलओपी की अवधि बढ़ाने का सीई प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई न्यायिक कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। बोर्ड ने मैसर्स सिनर्जी इूरे आटोमोटिव लिमिटेड और मैसर्स सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड के बीच पट्टा करार की अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड की सिफारिश से भी सहमति व्यक्त की। 4 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर एलओपी की अवधि बढ़ाने की शक्ति भी अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकास आयुक्त, वीएसईजेड को प्रदान की गई तथा यह शर्त रखी गई कि निम्नलिखित मील पत्थरों की प्राप्ति पर अनुमोदन बोर्ड की पुष्टि एवं अनुशीलन के लिए वे अपना निर्णय प्रस्तुत करेंगे :

(i) यूनिट एलओपी की वैधता के वर्तमान विस्तार के निर्गम की तिथि से एक साल अंदर डीटीए में अपने प्रचालन के लिए भूमि खरीदेगी तथा जुलाई, 2015 तक वीएसईजेड को भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(ii) एलओपी के वर्तमान विस्तार की तिथि से दो साल के अंदर अर्थात जुलाई, 2016 तक सिविल संरचनाओं का निर्माण करना।

(iii) एलओपी के वर्तमान विस्तार की तिथि से चार साल में अर्थात जुलाई, 2018 तक उत्पादन प्रारंभ करना।

(iv) वार्षिक विस्तार मंजूर करने से पूर्व विकास आयुक्त द्वारा एसईजेड की भूमि से ईओयू को शिफ्ट करने की उपर्युक्त समय सीमा की समीक्षा की जाएगी और यदि यूनिट द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो एलओपी के स्टेटस की समीक्षा के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा।

2.5(14) : मैसर्स बायो प्लस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत ईओयू - विदेश व्यापार नीति के प्रावधान के अनुसार डाटा लॉगर के आयात / प्रापण के लिए अनुमति

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन डाटा लॉगर के ड्यूटी फ्री आयात / प्रापण के लिए यूनिट को अनुमति प्रदान करने हेतु मैसर्स बायो प्लस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

2.6(14) : मैसर्स होथुर ट्रेडर्स, सीएसईजेड के तहत ईओयू - 100 प्रतिशत ईओयू योजना में बने रहने के लिए 5 साल के बाद एलओपी (जिसकी अवधि 24 जनवरी, 2013 को समाप्त हो गई है) का विस्तार

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने एसएलपी संख्या 7366 और 7367 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणाम तथा विदेश व्यापार नीति, एचबीपी में निर्धारित शर्तों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन 100 प्रतिशत ईओयू योजना में बने रहने के लिए 5 साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स होथुर ट्रेडर्स, सीएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

2.7(14) : मैसर्स टीईएस इलेक्ट्रानिक्स साल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत ईओयू - पीसीबी डिजाइनिंग (साफ्टवेयर) और एंबेडेड साफ्टवेयर एप्लीकेशन के समावेशन के लिए अनुमति

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने - पीसीबी डिजाइनिंग (साफ्टवेयर) और एंबेडेड साफ्टवेयर एप्लीकेशन के समावेशन के लिए अनुमति मैसर्स टीईएस इलेक्ट्रानिक्स साल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत ईओयू के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की तथा यह शर्त रखी कि लागू नियमों के अनुसार सेवा तथा विनिर्माण के घटकों के लिए एनएफई की गणना अलग-अलग की जानी चाहिए।

2.8(14) : मैसर्स स्ट्राइड एक्रो लैब लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत ईओयू - विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार आयातित कच्चे माल, पैकिंग सामग्री तथा निर्मित उत्पादों को नष्ट करने के लिए अनुमति

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि अधिसूचना संख्या 52/2003 – कस्टम दिनांक 31 मार्च, 2003 के पैरा 1(3)(घ)(1)(2) के अनुसार ड्यूटी की मांग की जा सकती है यदि पूंजी माल से भिन्न माल का प्रयोग निर्यात माल के विनिर्माण के लिए नहीं होता है या उसके आयात के 3 साल के अंदर घरेलू खपत के लिए क्लीयर नहीं किया जाता है। बोर्ड ने टिप्पणी की कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.15(ख) में यह

प्रावधान है कि कस्टम को सूचित करने के बाद ईओयू के अंदर आयातित कच्चे माल एवं निर्मित उत्पादों को नष्ट करने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसके अलावा, राजस्व विभाग ने सूचित किया कि कस्टम अधिसूचना विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुरूप बनाई जाएगी। अत: बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2.9(14) : मैसर्स इंडो सोलर लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू - एलओपी का नवीकरण

मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई तथा अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट का एनएफई निगेटिव है। विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने अधिसूचना संख्या संख्या 52/2003 – कस्टम दिनांक 31 मार्च, 2003 के अनुसरण में शुल्क एवं दंड के भुगतान के अधीन मैसर्स इंडो सोलर लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू के संबंध में 5 साल की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया तथा यह कि एलओपी का विस्तार सीई प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई रिकवरी की कार्यवाही को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

2.10(14) : मैसर्स कोम्बिटिक ग्लोबल कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू - विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित माल (आयातित / स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्त) एवं उसके निर्यात की अनुमति

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन उनके द्वारा विनिर्मित माल के साथ पिछले वित्त वर्ष में यूनिट द्वारा आयात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत तक ड्यूटी के भुगतान के बगैर उनके निर्यात के लिए डीटीए से प्रापण करने या कुछ पीपी मेडिसीन और जैविक रसायन आयात करने के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

2.11(14) : मैसर्स प्राइम एक्सपोर्टर, केएएसईजेड के तहत ईओयू - 5 साल तक एलओपी की अवधि बढ़ाना

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने एलओपी की अवधि समाप्त होने की तिथि से अगले 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक केएएसईजेड में ईओयू योजना के तहत प्रचालन करने वाले मैसर्स प्राइम एक्सपोर्टर के एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि केएएसईजेड के विकास आयुक्त एलओपी तथा समय-समय पर इसके परिवर्ती नवीकरण मंजूर करते समय यूनिट पर लगाई गई शर्तों तथा 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा जारी किए गए पिछले निदेशों के अनुपालन पर अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर स्पष्ट सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

2.12(14) : मैसर्स सैन पोलीप्लास्टर एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड के तहत ईओयू - 5 साल तक एलओपी की अवधि बढ़ाना

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने एलओपी की अवधि समाप्त होने की तिथि से अगले 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक केएएसईजेड में ईओयू योजना के तहत प्रचालन करने वाले मैसर्स सैन पोलीप्लास्टर एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि केएएसईजेड के विकास आयुक्त एलओपी तथा समय-समय पर इसके परिवर्ती नवीकरण मंजूर करते समय यूनिट पर लगाई गई शर्तों तथा 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा जारी किए गए पिछले निदेशों के अनुपालन पर अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर स्पष्ट सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

2.13(14) : मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड के तहत ईओयू - 5 साल तक एलओपी की अवधि बढ़ाना

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने एलओपी की अवधि समाप्त होने की तिथि से अगले 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक केएएसईजेड में ईओयू योजना के तहत प्रचालन करने वाले मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि केएएसईजेड के विकास आयुक्त एलओपी तथा समय-समय पर इसके परिवर्ती नवीकरण मंजूर करते समय यूनिट पर लगाई गई शर्तों तथा 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा जारी किए गए पिछले निदेशों के अनुपालन पर अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर स्पष्ट सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

2.14(14) : मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड के तहत ईओयू - 5 साल तक एलओपी की अवधि बढ़ाना

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने एलओपी की अवधि समाप्त होने की तिथि से अगले 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक केएएसईजेड में ईओयू योजना के तहत प्रचालन करने वाले मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि केएएसईजेड के विकास आयुक्त एलओपी तथा समय-समय पर इसके परिवर्ती नवीकरण मंजूर करते समय यूनिट पर लगाई गई शर्तों तथा 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा जारी किए गए पिछले निदेशों के अनुपालन पर अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर स्पष्ट सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

2.15(14) : मैसर्स आशु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड के तहत ईओयू - 5 साल तक एलओपी की अवधि बढ़ाना

विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने एलओपी की अवधि समाप्त होने की तिथि से अगले 3 माह की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक केएएसईजेड में ईओयू योजना के तहत प्रचालन करने वाले मैसर्स आशु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि केएएसईजेड के विकास आयुक्त एलओपी तथा समय-समय पर इसके परिवर्ती नवीकरण मंजूर करते समय यूनिट पर लगाई गई शर्तों तथा 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा जारी किए गए पिछले निदेशों के अनुपालन पर अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर स्पष्ट सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

भाग-2

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्‌वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों की अनुमोदन बोर्ड द्‌वारा पुष्टि

(क)	मार्च, 2014 से मई, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एसईईपीजेड
(ख)	जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएएसईजेड
(ग)	दिसंबर, 2013 से मई, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	आईएसईजेड
(घ)	दिसंबर, 2013 से मई, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	सीएसईजेड
(ङ)	दिसंबर, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	जनवरी, 2014 से जून, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एनएसईजेड
(छ)	जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एफएसईजेड
(ज)	फरवरी, 2014 से जून, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

पुराने मामले		
(क)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन निम्नानुसार हैं : नवंबर, 2005 में जारी किए गए एलओपी	एसईईपीजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2	सुश्री माला श्रीवास्तव, सदस्य एवं विशेष सचिव, सीबीईसी, राजस्व विभाग	
3	श्री राम तीर्थ, महानिदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग	
4	श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग	
5	श्री एन मुरूगनडम, संयुक्त सचिव, जहाजरानी मंत्रालय	
6	श्री मधुप व्यास, उप सचिव, वाणिज्य विभाग	
7	श्री कृष्ण प्रताप सिंह, अपर महानिदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग	
8	श्री जितेंद्र कुमार, अपर निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग	
9	डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी	
10	सुश्री दीपशिखा शर्मा, अवर सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग	
11	श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, वीएसईजेड	
12	सुश्री सफीना ए एन, विकास आयुक्त, सीएसईजेड	
13	श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएएसईजेड	
14	श्री ए के चौधरी, विकास आयुक्त, एमएसईजेड	
15	श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड – एसईजेड	
16	श्री विजय शाल्वे, विकास आयुक्त, केएएसईजेड	
17	सुश्री लता शुक्ला, विकास आयुक्त, एपीएसईजेड	
18	श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड	
19	सुश्री माला रंगाराजन, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड	
20	श्री राकेश कुमार, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड	
21	श्री एस के साहू, उप निदेशक (ईपी), डीसी, एमएसएमई	
22	श्री पी के गुप्ता, डीजीएम, एमएचए	

***